



भारत में प्रथम से आठवीं पंचवर्षीय योजना तक महिलाओं की स्थिति

□ डॉ० अखिलेश कुमार

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी से ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात अनेक ऐसे परिवर्तन सामने आये। जिनके कारण स्त्रियों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। इन परिस्थितियों में डॉ. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता के बढ़ते हुये प्रभाव को प्रमुख स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने व औद्योगिकरण के फलस्वरूप भी उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए। इससे स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम होने लगी और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिले। संचार के साधनों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास होने से स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई और सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से एक ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा और अर्न्तजातीय विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना सरल हो गया। इन समस्त कारकों के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, उसे निम्नांकित तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है:-

1. शिक्षा में प्रगति- शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियां इतनी तेजी आगे बढ़ रही हैं कि बीस वर्ष पूर्व इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। स्वतंत्रता से पूर्व तक लड़कियों के लिए न तो शिक्षा संबंधी समुचित सुविधाएँ प्राप्त थी और नही माता-पिता शिक्षा को आवश्यक समझते थे। इसके फलस्वरूप स्त्रियां रुढ़ियों में ही जीवन व्यतीत कर रही थी। 1883 में जहां पहली बार एक स्त्री ने बी.ए. पास किया, वहीं अब भारत में अधिकांश लड़कियां विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातकीय और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रही हैं। लड़कियों के लिए आज कला और विज्ञान के अतिरिक्त गृह-विज्ञान हस्तकला, शिल्पकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने की भी व्यापक सुविधाएँ प्राप्त हैं। मेडीकल कॉलेजों में लड़कियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। शिक्षा के प्रसार के कारण स्त्रियों को बाल-विवाह और पर्दा प्रथा से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही उन्होंने समाज कल्याण और महिला कल्याण में भी व्यापक रुचि दिखलाई है। उच्च स्तर की परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके स्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनका मानसिक

स्तर पुरुषों से किसी प्रकार भी नीचा नहीं है। शिक्षा की इस प्रगति को देखते हुये श्री पणिकर ने यह निष्कर्ष दिया है कि "स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना संभव हो गया है। वास्तव में शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाने और नये विचारों को जन्म देने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं स्त्रियों में शिक्षा विकास होने से वे रुढ़िगत और अपरिवर्तनीय आदर्शों को किस प्रकार स्वीकार कर सकती है?"

2. आर्थिक जीवन की बढ़ती हुई स्वतंत्रता-

स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिकरण और नवीन विचारधारा के कारण स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती जा रही है स्वतंत्रता से पहले यद्यपि निम्न वर्ग की स्त्रियां अनेक उद्योगों और घरेलू कार्यों के द्वारा कोई जीविका उपार्जित करती थी, लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा कोई आर्थिक कार्य करना अनैतिकता के रूप में देखा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात निम्नवर्ग की स्त्रियों को वेतन और काम के घंटों में पुरुषों के समान ही

अधिकार प्राप्त होने से विभिन्न उद्योगों में उनकी संख्या बढ़ी। मध्यम वर्ग की स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त करके अनेक क्षेत्रों की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। वर्तमान में शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण, मनोरंजन, उद्योग और कार्यालयों में स्त्री कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। यद्यपि व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों और औद्योगिक केन्द्रों में भी स्त्री कर्मचारियों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन भारतीय स्त्री की मनोवृत्ति में अभी आमूल परिवर्तन न हो सकने के कारण वे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता देती हैं। जीविका उपार्जित करने वाली स्त्रियां आज अन्य स्त्रियों के लिए एक आकर्षण हैं और आर्थिक स्वतंत्रता के कारण परिवार में उनके महत्व को देखकर अन्य स्त्रियों को भी आर्थिक जीवन में प्रवेश करने का प्रोत्साहन मिला है वास्तविकता तो यह है कि स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाने के कारण उनके आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है कि उनके व्यक्तित्व की तुलना उस स्त्री से किसी प्रकार नहीं की जा सकती है जो आज से कुछ वर्ष पहले तक संसार की सम्पूर्ण लज्जा को अपने घूँघट में समेटे हुए और पुरुष के शोषण को सहन करती हुई अपना जीवन घुटन में व्यतीत कर रही थी।

3. पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि- परिवार में स्त्रियों की स्थिति में आज महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज की स्त्री पुरुष की दासी नहीं बल्कि उसकी सहयोगी और मित्र है, परिवार में उसकी स्थिति याचिका की न होकर बल्कि प्रबंधक की है और अब वह अपने समस्त अधिकारों से वंचित एक निरीह अबला न रहकर अपनी स्थिति के प्रति पूर्णतः जागरूक है। आज की एक शिक्षित स्त्री संयुक्त परिवार में अपने समस्त अधिकारों का बलिदान करके शोषण में रहने के लिए तैयार नहीं है बल्कि वह मूल परिवार की स्थापना करके अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रयत्नशील है। बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक आय का उपयोग, संस्कारों का प्रबंध और पारिवारिक योजनाओं के रूप का निर्धारण करने में स्त्री की इच्छा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। पुरुषों के

अनेक दोषों को दूर करने में स्त्रियां सक्रिय योगदान कर रही हैं। अनेक स्त्रियां तो अपने पारिवारिक अधिकारों के लिए अन्तर्जातीय विवाह और प्रेम विवाह को ही प्राथमिकता देती हैं। बिलंब विवाह स्त्रियों में निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। आज की स्त्री बच्चों को जन्म देने वाली मात्र एक मशीन नहीं रह गई है, बल्कि वह परिवार नियोजन के प्रति पुरुष से भी अधिक जागरूक है कुछ व्यक्ति परिवार में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों से इतने चिंतित हो उठे हैं कि उन्हें पारिवारिक जीवन के ही विघटित हो जाने का भय हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी यह चिंता अपने एकाधिकार में होती हुई कमी के कारण ही उत्पन्न हुई है। आज की नई पीढ़ी तो स्वयं स्त्रियों को उनके पारिवारिक अधिकार देने के पक्ष में है और किसी कारण यदि उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा भी गया, तब आने वाले समय में वे इन्हें अपनी शक्ति से स्वयं ही प्राप्त कर लेगी।

4. राजनैतिक चेतना में वृद्धि- राजनैतिक चेतना में स्त्रियों की स्थिति जिस गति से ऊँची उठ रही है वह वास्तव में एक आश्चर्य का विषय है। 1937 के चुनाव में स्त्रियों के लिए 41 सीटें सुरक्षित होने पर भी केवल 10 स्त्रियां ही चुनाव के लिए सामने आई थी, जबकि सन् 1957 के चुनाव तक स्त्रियों की राजनैतिक जागरूकता इतनी बढ़ गई कि केवल विधान सभाओं के लिए ही 342 स्त्रियां चुनाव के लिए खड़ी हुईं, जिनमें से 195 निर्वाचित हो गईं। सन 1967 के चुनाव में लोक सभा के लिए 31 स्त्रियों ने चुनाव जीता। राज्यभा में भी स्त्री सदस्यों की संख्या 24 थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना एक आश्चर्य की बात थी और 1967 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुईं, तब पश्चिम के तथाकथित सम्य समाजों में स्त्रियां जैसे हतप्रभ हो गईं। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि उनकी राजनैतिक जागरूकता अभी बहुत पीछे है। राज्यसभा के उपसभापति के पद पर श्रीमती माग्रेट अल्वा व श्रीमती नजमा हेपतुल्ला का होना भी स्त्रियों की राजनैतिक जागरूकता का परिचायक है। चुनावों से यह प्रमाणित

हो गया है कि स्त्रियों में स्वतंत्र रूप से अपने मत का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। श्री पणिवकर का कथन है कि "जब स्वतंत्रता ने पहली अंगड़ाई ली तब भारत के राजनैतिक जीवन में स्त्रियों को जो पद प्राप्त हुआ, उसे देखकर बाहरी दुनिया चौंक पड़ी क्योंकि वह तो हिन्दू स्त्रियों को पिछड़ी हुई, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई समझने की अभ्यस्त थी। स्त्रियों ने अपनी राजनैतिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग करके मध्यकाल की रुढ़ियों को समाप्त करने तथा स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रशंसनीय कार्य किए हैं।

5. सामाजिक जागरूकता- आज स्त्रियों में काफी जागरूकता आ चुकी है, अब वे पर्दे में सिमटी हुई अपने आपको घर की चार दीवारों में बंद नहीं रखती। आधुनिक शिक्षित स्त्रियों में जातीय नियमों के प्रति उदासीनता पाई जाती है, वे ऐसे प्रतिबंधों की अधिक चिंता नहीं करती। आजकल अन्तर्जातीय विवाह होने लगे हैं, प्रेम विवाहों और विलंब विवाहों की संख्या भी बढ़ रही है। आज भारतीय महिलाएँ सामाजिक क्षेत्र में भी आगे आने लगी हैं। अब वे समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेती हैं महिला मण्डलों का निर्माण और क्लबों की सदस्यता भी ग्रहण करती हैं। आजकल अनेक स्त्रियाँ रुढ़ियों के चंगुल से मुक्त हो चुकी हैं और स्वतंत्रता के वातावरण में सांस ले रही हैं। श्री के.एस. पणिवकर ने स्त्रियों की बदलती हुई सामाजिक स्थिति के संबंध में लिखा है कि "भारत के लिए कुछ मेधावी स्त्रियों के द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय सफलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह परिवर्तन जो ग्रामों, ग्रामीण क्षेत्रों और जातियों में जिन्हें आज कि रुढ़िवादी या पिछड़ा हुआ माना जाता था, में हुआ है। वहाँ प्रथा और रुढ़िवादिता द्वारा लादे गये सामाजिक बंधनों से भी स्त्रियों को मुक्त किया जा चुका है। डॉ. एम.एन. श्रीनिवास ने स्त्रियों की बदलती हुई स्थिति के लिए पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण एवं जातीय गतिशीलता के बढ़ते हुए प्रभाव को उत्तरदायी माना है। स्पष्ट है कि उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जब हम

उन्नीसवीं शताब्दी की स्त्रियों की स्थिति पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि उस समय धर्म के नाम पर अनेक विधवाओं को जिंदा चिता में जलकर भस्म होना पड़ता था, बहुत सी बालिकाओं को जन्म लेते ही गला घोट कर मार दिया जाता था, पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था, किंतु बाल विधवा को पुनर्विवाह के अधिकार से वंचित रखा गया था, वहाँ आज कम से कम लोगों के दृष्टिकोणों में तो अवश्य अन्तर आया है। वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्त्रियाँ नौकरी करने, राजनीति में भाग लेने और सामाजिक क्षेत्र में काम करने लगी हैं, अनेक स्त्रियों ने विविध क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। लेकिन स्त्रियों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन अधिकांशतः नगरीय क्षेत्रों से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन होना अभी शेष है। जैसे-जैसे नगरीकरण की प्रक्रिया केन्द्र होगी और स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा, वैसे-वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन होना अभी शेष है। जैसे-जैसे नगरीकरण की प्रक्रिया केन्द्र होगी और स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा, वैसे-वैसे ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति में भी अवश्य परिवर्तन आयेगा। डॉ. पणिवकर ने सच ही कहा है कि स्त्रियों द्वारा हिन्दू जीवन के सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण आज हिन्दू समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बदली हुई सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उनके मस्तिष्क की जागरूकता, पूर्णतः असंतोषजनक आदर्श के प्रति उनमें बढ़ते हुए क्षोभ, परंपराओं के नाम पर उन्हें स्वतंत्र जीवन के लिए आवश्यक मौलिक अधिकारों से वंचित रखना, शिक्षा से उत्पन्न होने वाली महत्वाकांक्षा और राष्ट्र के जीवन में सम्मिलित होने और उसके भविष्य का निर्माण करने हेतु चल रहे राष्ट्रीय संघर्ष के दो पीढ़ियों के साहसिक अनुभवों आदि ने उन्हें जीवन के आदर्शों का पुनर्परीक्षण करने की प्रेरणा दी है। आज जिस गति से परिवर्तन हो रहे हैं, स्त्रियों में जिस तेजी से चेतना बढ़ रही है, जिस उत्साह के साथ सामाजिक समानता की उनके द्वारा मांग की जा रही है, उन सबको देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में भारतीय समाज का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। देश

में कुछ वर्षों में जो सामाजिक अधिनियम पारित किए गए हैं, शिक्षा के बढ़ने के साथ-साथ उनका हिन्दू समाज पर क्रांतिकारी प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आज कानून के द्वारा स्त्रियों की नियोग्यताओं को दूर किया गया है, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा स्त्रियों को अधिकार प्रदान किये गये हैं, न्यायालयों द्वारा अधिकारों की रक्षा भी की जा सकती है, परंतु यह तभी संभव होता है जब अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी और उनके लिए संघर्ष करने की स्वयं में दृढ़ता हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतंत्र भारत में पारित किए गए सामाजिक अधिनियम स्त्रियों की स्थिति को परिवर्तित करने की दृष्टि से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं, परंतु इनका पूर्ण लाभ स्त्रियों को उसी समय मिल सकेगा, जब ग्राम-ग्राम और घर-घर में शिक्षा का व्यापक प्रसार होगा। डॉ. ए.एस. अल्तेकर ने लिखा है कि "हमें भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि समय बदल चुका है, तार्किकता और समानता का युग आ चुका है। इसलिए हमें प्रस्तावित परिवर्तनों को लाते हुए नवीन परिस्थितियों के साथ स्त्रियों की स्थिति का समायोजन करना चाहिए।

इससे स्पष्ट होता है कि समय के साथ-साथ विचारों, दृष्टिकोणों, व्यवहारों और क्रियाओं में परिवर्तन लाना समाज हित में आवश्यक होता है और भारतीय समाज आज परिवर्तन की ओर अग्रसर है तथा कानूनी नियोग्यताओं के दूर होने और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने से एक स्वतंत्र प्रजातंत्र में स्त्रियां अब अपना उचित स्थान ले रही हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश स्त्रियां आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अभी भी पूरी तरह से भाग नहीं ले रही हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है और पुराने सामाजिक मूल्य अभी भी प्रभावशाली बने हुए हैं, जो उन्हें विविध क्षेत्रों में भाग लेने से रोक रहे हैं।

प्रारंभ में जब मानव का उद्भव हुआ था, तब स्त्री पुरुष के कार्यों में कोई भेद नहीं था और ज्यों-ज्यों मानव विकास की ओर बढ़ता चला गया तो उसके कार्यों में विभाजन भी होता गया, इन कार्यों

में विशेषीकरण आया और स्त्री पुरुष में श्रम विभाजन हुआ। संसार का प्रत्येक समाज मातृसत्तात्मक समाज में परिवर्तित हुआ। प्रारंभ में मातृसत्तात्मक परिवार होने से सम्पत्ति पर, परिवार के नाम पर वंश गो इत्यादि पर स्त्री का अधिकार होता था जिससे उसकी स्थिति उच्च हुआ करती थी लेकिन धीरे-धीरे इस व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ और पितृसत्तात्मक रूप ग्रहण किया तथा प्रत्येक मामले में पुरुष ने अपना आधिपत्य स्थापित किया और वह स्त्री को कुछ समझने लगा। उत्पादकता का आश्रय लेकर पुरुष ने स्त्री को घर की वस्तु बना दिया और स्वयं उसका मालिक बन बैठा।

आधुनिक भारत में स्त्रियों में शिक्षा का पर्याप्त विकास हो रहा है किन्तु शिक्षा प्राप्त करके भी लोगों के यहां तक कि स्वयं स्त्रियों के विचारों में भी विशेष परिवर्तन नहीं आया। इसी संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पुरुष लोग व्यवस्थाबद्ध ढांचे में विश्वास रखते हैं जबकि स्त्रियां परिणाम लक्ष्मी होने की बजह से तत्कालिक परिस्थिति को सुधारने पर भी जोर देती हैं स्त्री के ढांचे में मानव संबंधों का स्थान नीति नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व रखता है। संविधान के अनुच्छेद-15 के तहत 'स्त्री पुरुष के बीच किसी भी मामले में भेदभाव नहीं बरता जा सकेगा। अमेरिका और ब्रिटेन में स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार पहले विश्वयुद्ध के बाद जाकर मिला। जापान में भी 1946 के करीब, फ्रांस में 1945 और स्वतंत्रता की सबसे अधिक गुहार लगाने वाले स्विट्जरलैण्ड में तो 1971 में जाकर मिला, जबकि भारत में तो आजादी मिलने के प्रथम पल से ही स्त्री को समानाधिकार प्राप्त है।

भारत की आजादी को 74 वर्ष बीत चुके हैं और संविधान ने समान अवसर तथा हिफाजत का आवश्वासन भी दिया है। कानूनी अधिकारों में भी सुधार किया गया है। व्यापक स्तर पर अक्षर ज्ञान देने के लिये राष्ट्रीय नीति बनाई गई है। इन सबके बावजूद हमारे समाज में स्त्रियों का मूल्य एवं स्थान उस स्तर तक नहीं उठ पाया, जितना उठना चाहिये। आज स्त्रियां कुछ जागृत तो हुई हैं किन्तु उनमें निराशा व्याप्त है

आजादी से पहले एवं बाद में भी स्त्रियों ने काफी सामाजिक कार्य किये, वे कल्याण के काम भी करती हैं, किन्तु वे अपनी नारी शक्ति का निर्माण नहीं कर पायी। देश के अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है और गरीबी रेखा के नीचे ही जी रही हैं। लगभग तमाम गरीब स्त्रियां आर्थिक गतिविधियां चलाकर कुछ न कुछ कमाई तो करती हैं। हमारे देश में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले कामों में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अन्न बोना, बुवाई करना, बीजों का संग्रहण करना, खेत में निदाई करना, हिफाजत करना, पशुपालन करना, सिलाई, मटके, सूप, टोकरे, झाड़ू बनाना, नमक पकाना, कटाई, बुनकरगिरी करना, पापड़, अचार बनाना, छोटी-मोटी पैदावर की बाजार में बिक्री करना, पानी भरना, खाना पकाना, घर का काम करना, बच्चों का लालन-पालन करना, बीमार की देखभाल करना, किफायत करके छोटी-मोटी पैदावार की बाजार में बिक्री करना, पानी भरना, खाना पकाना, घर के काम करना, बच्चों का लालन-पालन करना, बीमार की देखभाल करना, किफायत करके छोटी-मोटी बचत करना आदि कार्य जो राष्ट्र की संपदा के बढ़ाने वाले बुनियादी किस्म के हैं, गांवों तथा शहरों की श्रमजीवी एवं कार्यकारी महिला करती आई हैं।

यह सत्य है कि वर्तमान में स्त्रियों ने शिक्षित होकर कुछ विशेष स्थानों एवं पदों पर पुरुषों की बराबरी कर लती है, किन्तु इनका प्रतिशत बहुत कम है। स्त्री को किसी विशेष पेशे व व्यवसाय में नहीं बंधना चाहिये, उसे विभिन्न भूमिकाओं में पुरुष के समान कार्य करना चाहिये। वर्तमान में कोई कार्य लिंग में भेदभाव नहीं करता है। स्त्री-पुरुष दोनों ही डॉक्टर, इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विमान चालक, रेल चालक, मैकेनिक आदि भूमिकाओं में देखे जा सकते हैं।

शिक्षित महिलाओं को आज दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है। एक भूमिका पत्नी, माँ व गृहणी की तथा दूसरी व्यवसाय की। उनके जीवन में जितना अधिक व्यवसाय संबंधी उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है उनका पारिवारिक

उत्तरदायित्व। व्यावसायिक एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों में समय एवं पश्चिम की स्थिति को संतुलित रखना प्रत्येक कार्यरत महिला के सुखी जीवन का आधार है, किन्तु यह संतुलन तभी संभव है जब महिलाओं को व्यावसायिक समय से पारिवारिक कार्य के लिए भी समय मिल सके। प्रत्येक व्यवसाय की कार्य स्थितियां, कार्य समय तथा कार्य सुविधाएँ महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

औरैया जनपद की कार्यकारी महिलाओं को प्रमुखतया अध्यापिका, डॉक्टर, नर्स, क्लर्क व टाइपिस्ट, वकील, टेलीफोन ऑपरेटर, महिला पुलिस व महिला होमगार्ड, समाज सेविकाएँ एवं अन्य व्यवसायों में संलग्न पाया है। इसके अलावा भी अन्य व्यवसाय में कार्यरत महिलाएँ ऐसी हैं जो कि रेलवे, भारतीय जीवन बीमा निगम, पोस्ट आफिस, अस्पताल तथा निजी उद्योगों में कार्यरत हैं, लेकिन उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। महिलाओं के कैरियर के रास्ते और भी हैं। जैसे-शिक्षा, चिकित्सा और कार्यालय सहायक जैसे परंपरागत व्यवसायों के ऊपर महिलाएँ नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश पाकर अपने कैरियर के रास्ते चुन रही हैं। इन नई राहों में, जिनमें अभी पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

1. सेक्रेटरी (सचिव) या निजी सचिव-

सेक्रेटरी या निजी सचिव का पद बड़ी प्रतिष्ठा का पद होता है। प्रत्येक बड़ी कंपनी, बड़े व्यवसाय अथवा उद्योग के प्रबंध अपनी आवश्यकता के लिये सचिव और सहायक सचिव रखते हैं। इस पद के लिये जहां हिन्दी, अंग्रेजी और प्रान्तीय भाशाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिये, वहीं सामान्य ज्ञान भी उच्च स्तर का होना चाहिये।

2. फैशन डिजाइनिंग कोर्स-फैशन के

बढ़ते प्रचलन और नित्य नये बदलते फैशन के कारण महिलाओं के लिये इस कोर्स में अभी भी बहुत संभावनाएँ हैं। इस आकर्षक व्यवसाय का क्रेज दिनों दिन बढ़ रहा है। देश के हर बड़े नगर में इसके प्रशिक्षण की सरकारी और गैरसरकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं। जो विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं।

3. ब्यूटीशियन कोर्स-खूबसूरत भला कौन

नहीं दिखना चाहता, या फिर खूबसूरत कौन नहीं बनना चाहता। इसी इच्छा की पूर्ति के लिये ब्यूटीशियन व्यवसाय स्थापित हुआ है। इस रोजगार में मान प्रतिष्ठा और पैसा भी बहुतायत मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। संपन्नता और फैशन की दौड़ ने इसे एक अच्छा-खासा व्यवसाय बना दिया है। अब केवल महानगरों में ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे शहरों और कस्बों में भी ब्यूटी पार्लन खुल गये हैं, जहां मलिलाएँ कुशल ब्यूटीशियन के रूप में काम करती हैं। इन ब्यूटी पार्लनों में जहां महिलाएँ कुशल ब्यूटीशियन के रूप में काम करती हैं, इन ब्यूटी पार्लनों में जहां हेयर ड्रेसिंग का काम होता है, वहीं चेहरे और त्वचा की खूबसूरती के लिए विविध प्रकार की जड़ी-बूटियों और घरेलू साधनों का उपयोग भी सिखाया जाता है स्वरोजगार की दृष्टि से यह लड़कियों के लिये सबसे अच्छा कैरियर है। उचित प्रशिक्षण और शिक्षा से आप एक अच्छी ब्यूटीशियन बन सकती हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में कई महिलाओं ने तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है।

4. मॉडलिंग- जब से दूरदर्शन पर विज्ञापनों का प्रचार-प्रसार बढ़ा है, तब से इस क्षेत्र में युवतियों का प्रवेश भी बढ़ा है इस व्यवसाय से जुड़ने के लिये आपका चेहरा फोटोजैनिक होना चाहिये। वास्तव में इस व्यवसाय से जुड़ी यह एक ऐसी 'क्वालीफिकेशन' है जिसे 'इग्नोर' नहीं किया जा सकता। यदि आप इस व्यवसाय से जुड़ना चाहती हैं तो अपने फोटो किसी अच्छे फोटोग्राफर से खिचवाकर विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से भेजने चाहिये। ये विज्ञापन एजेंसियां इन फोटो को अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन करती हैं और फिर इसके बाद वे अपने-अपने तरीकों से इनका उपयोग करती हैं। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं।

5. पत्रकारिता और विज्ञापन लेखन-

पत्रकारिता भी एक प्रतिष्ठा और सम्मानजनक व्यवसाय है। सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में समय-समय पर संवाददाता, संपादक और सह-संपादक के पद निकलते रहते हैं। इन पदों पर महिलाएँ बड़ी कुशलता से कार्य कर रही हैं। देश में

कई विश्वविद्यालयों द्वारा पत्रकारिता के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में आज भारतवर्ष में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में महिलाओं की उपस्थिति बहुतायत मात्रा में देखी जा सकती है। इसके अलावा विज्ञापन लेखन को कैरियर बनाने के लिए भाषा पर अच्छा अधिकार होना चाहिए। विज्ञापन लेखन के लिये भी कई विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। विज्ञापन शब्दावली का प्रभाव सीधे उपभोक्ता के मस्तिष्क पर पड़ता है इसलिए बहुत आवश्यक है कि विज्ञापन लेखक उपभोक्ताओं की मनोदशा से परिचित हो। लेखक के शब्द उपभोक्ता वस्तु से भी मेल खाते हो। विज्ञापन लेखक को कुछ प्रामाणिक तथ्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। विज्ञापन लेखक के रूप में भी आपके सामने स्वर्णिम तैयार कैरियर है।

6. जनसंपर्क अधिकारी- लगभग सभी बड़े संस्थानों में एक जनसंपर्क अधिकारी यथा पी.आर.ओ. होता है पी.आर.ओ. का पद जनता और संस्थान के बीच कड़ी का काम करता है। इस क्षेत्र में भी रोजगार की बड़ी संभावनाएँ हैं। यद्यपि यह पत्रकारिता का ही एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी यह पद प्रतिष्ठा का होता है।

7. कार्मिशियल आर्ट- ड्राइंग को दक्षता के रूप में विकसित कर कैरियर बनाया जा सकता है। अनेक उद्योग धंधों, घरों, प्रदर्शनियों आदि में कार्मिशियल आर्ट का उपयोग होने लगा है। इस स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता है। विज्ञापन पटों पर लेखन, बैनर, पोस्टर प्रकाष, लेबल, होर्डिंग तथा अन्य अनेक क्षेत्र में चित्रों का डिजाइन तैयार करना इस व्यवसाय के प्रमुख अंग हैं। आपकी कलात्मक सोच, रंगों का चयन, रेखांकन, आकर्षक वाक्यों का तालमेल इस कला के ही अंग हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं जहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है।

8. इंटीरियर डेकोरेटर- घर, दतर और सार्वजनिक स्थानों को सुंदर व व्यवस्थित रखने का कार्य इंटीरियर डेकोरेट का होता है। वह उपलब्ध जगह को कम से कम साधनों में अधिक से अधिक सुंदर बनाने का काम करते हैं। इसकी मांग दिनों

दिन बढ़ती जा रही है। फिल्मी शूटिंग के सैट अथवा बड़े लोगों की घर की सज्जा का काम इन्हीं से कराया जाता है, बड़े-बड़े भवन निर्माता, ठेकेदार, फर्नीचर बनाने वाली कंपनियां आदि में इन्हें नौकरी मिल जाती है या फिर ये स्वतंत्र रूप से अपने व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन के प्रशिक्षण हेतु भी कई संस्थाएँ संचालित हैं।

9. फिल्म, नृत्य और नाट्यकला- प्रभावशील व्यक्तित्व, सुडौल शरीर, अभिनय कला, फोटोजैनिक् चेहरा, मधु आवाज आदि का होना आवश्यक है। इसी प्रकार नृत्यकला और नाट्यकला के लिये कुछ इसी प्रकार के विशिष्ट व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है यदि आप समझती हैं कि आप इनमें से किसके लिये योग्य हैं और आप इसे कैरियर के रूप में अपनाती हैं तो समय-समय पर इनसे संबंधित विज्ञापनों के उत्तर में प्रयास करें। इनसे संबंधित अनेक प्रशिक्षण संस्थाएँ कार्यरत हैं।

10. आभूषण डिजाइनिंग- महिलाओं में सजने-संवरने की प्रवृत्ति शाश्वत होती है। वे अपनी स्वभाविक इच्छा की पूर्ति के लिये अनेक प्रकार के आभूषण पहनती हैं। आभूषणों के प्रति महिलाओं का लगाव आदिकाल से रहा है। अब आभूषणों को फैशन का एक अंग माना जाता है। आधुनिक औद्योगिक उन्नति में आभूषण डिजाइनिंग एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित हुआ है केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी हमारे आभूषणों की बड़ी मांग है। इसका तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर लड़कियां इसे अपना कैरियर बना सकती हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा इसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। फूल, पत्थरों से लेकर सभी प्रकार की बहुमूल्य धातुओं के आभूषण आजकल बनाये जा रहे हैं, उन्हें अलग-अलग डिजाइन देना, शिल्प करना इन प्रशिक्षणों में सिखाया जाता है। हीरा प्रसंस्करण का कार्य भी इन्हीं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिया जाता है। रत्नों की नक्काशी, कटिंग, पॉलिशिंग के डिप्लोमा कोर्स भी सुलभ हैं। इस समय देश के कई शहरों में आभूषण डिजाइनिंग के प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं।

11. पैकिंग- आजकल पैकिंग का जमाना

है। किसी भी उपभोक्ता वस्तु को बाजार में लाने के लिए उसका आकर्षक पैकिंग में होना न केवल आवश्यक है बल्कि जरूरी भी है। पैकिंग भी एक तरह की कला है। इस कला को महिलायें कैरियर के रूप में अपनाकर घर बैठे अच्छा पैसा और प्रतिष्ठा कमा सकती हैं।

12. कम्प्यूटर कोर्सस- संसार के विकसित और विकासशील अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कम्प्यूटर क्रांति आ गई है। अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है और न ही ऐसा कोई शहर बचा है जहां कम्प्यूटर न पहुँचा हो। लगभग हर बड़े-छोटे शहर में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के भी छोटे-बड़े संस्थान हैं। अतः आप इस विषय में स्थानीय केन्द्रों से जानकारी लेकर इसे कैरियर के रूप में अपना सकती हैं। कम्प्यूटर से संबंधित डिप्लोमा कोर्सस विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित किये जाते हैं। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के 'जाब वर्क' जैसे जन्मकुंडली बनाना, बड़े संस्थानों के एकाउंट, डी.टी.पी. आदि बनाना है। अतः आप अपनी आवश्यकतानुसार इस कार्य को कर सकती हैं। कम्प्यूटर द्वारा चित्र डिजाइनिंग, ग्रीटिंग्स कार्ड, लैटर पैड आदि जॉब वर्क भी सरलता से किये जा सकते हैं।

13. चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े तकनीशियन- पढ़ी लिखी लड़कियां जो डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, प्रोफेसर आदि नहीं बन पाती अथवा किन्हीं अन्य कारणों से वे इन क्षेत्रों में नहीं जा पाती, उन्हें चिकित्सा से जुड़ी अन्य सेवाओं में प्रशिक्षण लेकर पैथोलॉजी सहायक के रूप में डॉक्टरी कार्य की सहायता के लिये विभिन्न रोगों से संबंधित जांच कार्य करना चाहिये। पैथोलॉजी तकनीशियन खून, थूक, मूत्र, वीर्य, त्वचा आदि की जांच कर चिकित्सा कार्य में चिकित्सक की मदद करते हैं। प्रयोगशाला सहायक बनने के लिये किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

इन कार्यों के अतिरिक्त भी ऐसे कई कार्य हैं जिनमें महिलाओं को अपनी भागीदारी बढ़ाने पर विचार करना चाहिये, जिनमें प्रमुख रूप से सी.ए., एम.बी.ए., होटल प्रबंधन आदि अन्य ऐसे ही कार्य हैं

जिन्हें प्रतिभावान महिलायें अपने कैरियर के रूप में चुन सकती हैं और इनके सफलता प्राप्त कर नई ऊँचाइयों को छू सकती हैं। वर्तमान परिवेश में भारतवर्ष में महिलाओं की संख्या लगभग 30 करोड़ है। जिसमें 25 करोड़ महिलायें गांवों में निवास करती हैं और मात्र 5 करोड़ महिलायें ही शहरी क्षेत्रों में निवास करती हैं, इनमें से कामकाजी महिलाओं की संख्या लगभग एक करोड़ है। जैसे-जैसे महिलायें जागरूक हो रही हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना व्यवसाय चुन रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रभु पी.एच.- हिन्दू सोशल आर्गनाइजेशन पापुलर बुक डिपो बम्बई 1958.
2. अल्टेकर ए.एस.- वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन बनारसीदास मोतीलाल पब्लि. बनारस 1956.
3. मजूमदार वीणा - सिम्बल ऑफ पावर विवेक प्रशासन नई दिल्ली 1984.
4. चन्द्रावती लखनपाल- स्त्रियों की स्थिति विवेक प्रकाश नई दिल्ली 1986.
5. आहूजा राम - भारतीय समाज व्यवस्था रावत पब्लिकेशन जयपुर 195.
6. देसाईनीरा एण्ड - वूमन सोसायटी इन इण्डिया वीरा एण्ड कम्पनी कृष्णराज एम. बम्बई 1057.
7. अल्टेकर ए.एम. - वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन बनारसी दास मोतीलाल पब्लि. बनारस 1956.
8. श्री निवास एम.एन. - कास्ट इन मार्डन इण्डिया एण्ड अदर एसेज मीडिया प्रमोटर्स एण्ड पब्लि. बम्बई 1985.
9. गाडिल्या रेहाना - वूमन इन इण्डियन सोसायटी राजकमल पब्लिकेशन नई दिल्ली 1982.
10. वाणिककर के.एम. - हिन्दू सोसायटी एट क्रास रोड एषिया पब्लिकेशन नई दिल्ली 1961.
11. अल्टेकर ए.एम. - वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन बनारसी दास मोतीलाल पब्लिकेशन बनारस 1956.
12. नास्मिन लारेन्स - महिला श्रमिक आदित्य पब्लिकेशन दिल्ली 1999.

